दैनिक भारत कि

तामीर

संपादक - काझी मकदूम शफीउद्दीन hinditameer@gmail.com

बीड (महाराष्ट्र) | वर्ष-१ ला | अंक-२५७ वा | गुरूवार १७ एप्रिल २०२५ | RNI TITLE CODE:MAHHIN11405/120/1/3/2024 | किमत : २ रूपये | पन्ने - ४

काला कानून वापस लो कि गूंज मे 'वक्फ' बिल के विरोध में बीड मे इंसानी जंजीर

बीड़, १६ अप्रैल (प्रतिनिधि): मुस्लिम समाज और वक्फ कि जायदाद को संविधान में संरक्षण देने के बावजूद ६ अप्रेल को काला कानून ला कर देश भर कि जायदाद को हथियाने कि पाप सत्ता धारी पक्ष और उन के साथीयों ने किया है जिसे देश के मुसलमान और करोड़ों हिंदू भाइयों ने भी पसंद नहीं किया है और इस का विरोध करते हुए आज वक्फ बोर्ड बिल के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से देशभर में मानव श्रृंखला आंदोलन की शुरुआत की गई है। इसी कड़ी में बुधवार (१६ अप्रैल) को बीड़ शहर के छत्रपती संभाजी महाराज क्रीडांगण में हजारों मुस्लिम नागरिकों ने एकत्र होकर शांतिपूर्ण ढंग से अपना विरोध दर्ज कराया।

इस आंदोलन में हिस्सा लेने वाले नागरिकों ने शांतिपूर्ण मार्ग अपनाकर वक्फ बिल के विरोध में अपनी भूमिका स्पष्ट की। इस अवसर पर प्रख्यात धार्मिक वक्ता मुफ्ती मोहिउद्दीन ने वक्फ बिल के प्रावधानों और इसके संभावित दुष्परिणामों पर विस्तार से मार्गदर्शन किया।

आंदोलन के माध्यम से केंद्र सरकार से वक्फ बोर्ड से संबंधित यह नया विधेयक वापस लेने की मांग जोर पकड़ रही है। मुस्लिम समाज के धार्मिक और सामाजिक अधिकारों पर हमला करने वाले इस बिल का देशभर में कड़ा विरोध किया जा रहा है, और मुस्लिम समाज एकजुट होकर अपनी आवाज बुलंद कर रहा है।

बताया गया कि यह मानव श्रृंखला आंदोलन बुधवार से शुरू होकर अब हर तालुका स्तर पर प्रतिदिन आयोजित किया जाएगा।

इस आंदोलन में बीड़ जिले के प्रमुख नेताओं सहित मराठा समाज के नागरिकों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस अवसर पर मौलाना अब्दुल रहीम कासमी,, मौलाना हाफिज जाकीर, मौलाना अखिल, शफीक हाशमी, मौलाना अब्दुल बाकी, मुफ्ती जावेद, मुफ्ती आरिफ, मौलाना अमीन, मौलाना साबिर, मुफ्ती गय्यास, मुफ्ती युनुस, मुफ्ती मैनुद्दीन कासमी, बीड के तमाम उलमाए कराम, विधायक संदीप क्षीरसागर, सय्यद सलीम, अशोक हिंगे, गणेश वरेकर, एडवोकेट शफीक भाऊ, नितीन जयभाय, मोईन मास्टर, फारुख पटेल, खुर्शीद आलम, रविंद्र दळवी, प्रशांत वासनिक, ईसाई धर्म गुरु, दलित धर्म गुरु और देशमुख सहित बड़ी संख्या में मुस्लिम नागरिक उपस्थित रहे।

हर महीने बीजेपी कार्यालय में होगा 'जनता दरबार'

२२ अप्रैल को मंत्री पंकजा मुंडे के जनता दरबार से होगी शुरुआत

मुंबई, १६ अप्रैल (प्रतिनिधि): महाराष्ट्र भाजपा की ओर से यह निर्णय लिया गया है कि अब हर महीने प्रदेश भाजपा कार्यालय में 'जनता दरबार' आयोजित किया जाएगा। इस दरबार में भाजपा के सभी मंत्री बारी-बारी से जनता की समस्याएं सुनेंगे और समाधान का प्रयास करेंगे।

इस श्रृंखला की शुरुआत २२ अप्रैल को राज्य की पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे के जनता दरबार से होगी। यह जनता दरबार मुंबई स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में दोपहर ३ बजे से ४:३० बजे तक आयोजित किया जाएगा। पार्टी की ओर से सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से इस दौरान उपस्थित रहने की अपील की गई है।

भाजपा प्रदेश कार्यालय की ओर से जारी सूचना के अनुसार, संबंधित जिलों या क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं को सलाह दी गई है कि वे अपने क्षेत्र की समस्याएं संबंधित मंत्री के समक्ष रखने के लिए दो प्रतियों में लिखित निवेदन के साथ २२ अप्रैल को सुबह ११ बजे प्रदेश कार्यालय में उपस्थित रहें।

साथ ही, यदि संभव हो तो कार्यकर्ता अपनी समस्याओं की एक प्रति लक्षरिहरसारळश्र.लेा पर पहले से भेज दें, जिससे उस पर समय रहते कार्रवाई की जा सके और संबंधित विभाग तक प्रेषित करना भी आसान हो सके।

भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण ने विश्वास जताया है कि जनता दरबार के माध्यम से कार्यकर्ताओं और जनता को अपनी समस्याएं सीधे मंत्री के समक्ष रखने का मौका मिलेगा और इससे उनके क्षेत्र के विकास कार्यों को भी गति मिलेगी। राज्यभर के भाजपा कार्यकर्ताओं से इस पहल का लाभ उठाने की अपील की गई है।

बीड जिले में १९१ करोड़ की लागत से 'CIIT' की स्थापना का निर्णय

'टाटा टेक्नोलॉजी' ने डिप्टी सीएम अजित पवार को भेजा पत्र

रिपोर्ट: जमीर काज़ी, मुंबई

बीड जिले के विद्यार्थियों और युवाओं को औद्योगिक प्रशिक्षण व तकनीकी कौशल विकास के माध्यम से उद्योगों के लिए उपयुक्त बनाकर रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 'सेंटर फॉर इन्व्हेंशन, इनोव्हेशन, इक्युबेशन एंड ट्रेनिंग' (उखखखढ) की स्थापना की जाएगी। इस आशय की घोषणा बीड के संपर्क मंत्री एवं उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने हाल ही में की थी।

इस घोषणा के महज दो सप्ताह बाद टाटा टेक्नोलॉजी कंपनी ने बीड जिले में १९१ करोड़ रुपये की लागत से नया उखखखढ सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया है। कंपनी ने इस संबंध में उपमुख्यमंत्री अजित पवार को एक औपचारिक पत्र भेजा है। नए सेंटर के माध्यम से प्रतिवर्ष ७,००० युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे बीड जिले में उद्योगोन्मुख वातावरण विकसित होने की संभावना जताई जा रही है।

उल्लेखनीय है कि अजित पवार ने २ अप्रैल को बीड जिले के दौरे के दौरान इस सेंटर की स्थापना की घोषणा करते हुए टाटा टेक्नोलॉजी को सहयोग हेतु पत्र लिखा था। कंपनी ने सकारात्मक जवाब देते हुए सहयोग की स्वीकृति दी है।

१९१ करोड़ रुपये के खर्च में से ३३ करोड़ रुपये (१५%) बीड जिला प्रशासन द्वारा वहन किए जाएंगे, जबकि शेष खर्च टाटा टेक्नोलॉजी और उसकी साझेदार कंपनियां व संस्थाएं करेंगी।

उखखखढ की स्थापना के बाद प्रारंभिक तीन वर्षों तक प्रशिक्षण का संपूर्ण खर्च टाटा टेक्नोलॉजी वहन करेगी। इसके बाद प्रशिक्षण का खर्च टाटा टेक्नोलॉजी और जिला प्रशासन ५०-५० प्रतिशत के अनुपात में साझा करेंगे। इस योजना से बीड जिले के हजारों युवाओं को उद्योग क्षेत्र की मांग के अनुरूप औद्योगिक व तकनीकी प्रशिक्षण मिलेगा। इससे उनकी कौशल क्षमता में वृद्धि होगी और उद्योगों को आवश्यक प्रशिक्षित मानव संसाधन उपलब्ध हो सकेगा। इस परियोजना से जिले में एक उद्योगोन्मुखी वातावरण विकसित होने की उम्मीद जताई जा रही है।

'बीएसएनएल' को मिलेगी रफ्तार : सांसद बजरंग सोनवणे का युद्धस्तर पर कार्य करने का निर्देश

समय पर कार्य न होने पर अधिकारियों पर होगी कार्रवाई का संकेत

बीड़, १६ अप्रैल (प्रतिनिधि): बीड़ और अहमदनगर जिलों में बीएसएनएल की सेवाओं को और अधिक सक्षम बनाने के लिए अहमदनगर में आयोजित जिला दूरसंचार समिति की बैठक में समिति के अध्यक्ष एवं लोकसभा सांसद बजरंग सोनवणे ने अधिकारियों को सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, युद्धस्तर पर कार्य करें, अन्यथा जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। उनके इस निर्देश से अब बीएसएनएल के कार्यों में तेजी आने की संभावना जताई जा रही है।

बैठक में उपस्थित गणमान्य:

इस बैठक में अहमदनगर लोकसभा क्षेत्र के सांसद नीलेश लंके, बीएसएनएल के महाप्रबंधक राजेंद्रसिंह चोंगड, बीड़ के सह महाप्रबंधक बी.एस. अनारे, नगर विभाग के वाघ, राजू थोरात, दीपक जोशी, वी.बी. जोशी, अनंत्रे, दिनेश मालू, विजय पिंपरकर, योगेश सुले समेत अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

४६१ गांवों में बीएसएनएल नेटवर्क के विस्तार की मंजूरी:

सांसद बजरंग सोनवणे ने पहले ही ४६१ ऐसे गांवों की सूची तैयार कर मंजूरी दिलवाई थी, जहां बीएसएनएल नेटवर्क नहीं था। उन्होंने निर्देश दिए कि इन गांवों में जल्द से जल्द ४जी टॉवर लगाकर सेवा शुरू की जाए। उन्होंने यह भी बताया कि जिले के सभी गांवों को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ा जाएगा।

सरकारी दफ्तरों और बैंकों को ४ऋ सेवा से जोड़ने पर जोर:

डिजिटल भारत निधि योजना के तहत सभी सरकारी कार्यालयों, अनुदानित संस्थाओं और बैंकों को बीएसएनएल की ४जी और ब्रॉडबैंड सेवाएं देने का कार्य युद्धस्तर पर जारी है। जिन गांवों में पहले से ४जी सेवा है, वहां अब सुविधाओं को अपग्रेड कर ५जी सेवा देने की योजना बनाई जा रही है।

जल जीवन मिशन के कारण केबल लाइन को हुए नुकसान पर चर्चा:

बैठक में जल जीवन मिशन के तहत पाइपलाइन खुदाई के दौरान बीएसएनएल के केबल नेटवर्क को हुए नुकसान की भी समीक्षा की गई। संबंधित अधिकारियों ने यह मुद्दा सामने रखा, जिस पर सांसद सोनवणे ने तत्काल पंचनामा कर नुकसान भरपाई का प्रस्ताव जल मंत्रालय को भेजने के निर्देश दिए।

इस प्रकार, बीएसएनएल की सेवाओं में सुधार और नेटवर्क विस्तार की दिशा में यह बैठक काफी महत्वपूर्ण साबित हुई।

उर्दू दैनिक तामीर के २५ वे साल में क़दम रखने पर एक और पेशकश

‘वाह रे मोदी तेरा खेल, सोने के भाव से बिक रहा तेल’

महंगाई के खिलाफ एनसीपी का जोरदार प्रदर्शन, मोदी सरकार पर नारेबाजी

मुंबई, १६ अप्रैल (अज़ीज़ एजाज़): कच्चे तेल की कीमतें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर घट रही हैं, लेकिन भारत में पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें १०० रुपये के पार बनी हुई हैं। इससे आम जनता की जेब पर अतिरिक्त बोझ डाला जा रहा है और महंगाई में लगातार इज़ाफा हो रहा है। इसी के विरोध में राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस (शरद पवार गुट) की ओर से आज मुंबई में जोरदार प्रदर्शन किया गया।

इस दौरान कार्यकर्ताओं ने नारे लगाए- वाह रे मोदी तेरा खेल, सोने के भाव से बिक रहा तेलद्द यह विरोध प्रदर्शन राज्य अध्यक्ष महबूब शेख की अगुवाई में एनसीपी के राज्य कार्यालय के सामने किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए।

महबूब शेख ने कहा कि देश में लगातार महंगाई बढ़ रही है और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर घटते जा रहे हैं। पेट्रोल, डीज़ल और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतें आसमान छू रही हैं, जिससे आम आदमी का जीवन मुश्किल हो गया हैद्द

इस विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने महबूब शेख सहित कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। बावजूद इसके कार्यकर्ताओं का उत्साह कम नहीं हुआ।

महबूब शेख ने आगे कहा कि यह सरकार लोकतंत्र का गला घोंट रही है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला कर रही है। अगर महंगाई पर काबू नहीं पाया गया, तो हम राज्य में मंत्रियों को स्वतंत्र रूप से घूमने नहीं देंगे। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि अगर पेट्रोल-डीज़ल पर लगाए गए भारी टैक्स वापस नहीं लिए गए, तो राज्यभर में लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन तेज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार बल प्रयोग कर विरोध को दबाना चाहती है, लेकिन इससे लोगों की समस्याएं खत्म नहीं होंगी।

नासिक में दरगाह पर बुलडोज़र कार्रवाई से फैला बवाल

१५ लोग गिरफ्तार, स्थिति फिलहाल शांत, लेकिन गिरफ्तारियां जारी

मुंबई, १६ अप्रैल (अज़ीज़ एजाज़) : वक्फ (संशोधन) बिल की संसद में मंजूरी के बाद मुसलमानों की धार्मिक स्थलों पर कार्रवाई का सिलसिला शुरू हो चुका है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, मंगलवार रात नासिक के काठ्ठे गली इलाके में स्थित एक कथित अवैध दरगाह को तोड़ने के दौरान हिंसा भड़क उठी।

इस हिंसा में लगभग २१ पुलिसकर्मी घायल हो गए और पुलिस की तीन गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। उस्मानिया चौक क्षेत्र में जब पुलिस और मनपा के तोड़क दस्ते पर भीड़ ने पथराव शुरू किया, तो पुलिस को लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले दागने पड़े।

इस घटना के संबंध में पुलिस ने अब तक १५ लोगों को गिरफ्तार किया है। नासिक के पुलिस कमिश्नर संदीप कार्निक ने बताया कि घटनास्थल से ५७ मोटरसाइकिलें जब्त की गई हैं। स्थिति फिलहाल शांत है, लेकिन हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तारियां जारी हैं।

बताया गया है कि इस कथित अवैध दरगाह को गिराने के लिए नासिक मनपा के लगभग ५० कर्मचारियों के साथ ४ अर्थमूवर मशीनें, ६ ट्रक और २ डंपर का उपयोग किया गया था।

गौरतलब है कि इसी साल फरवरी में नासिक मनपा की एंटी-इनक्रोचमेंट टीम ने दरगाह के पास कई अवैध निर्माणों को हटा दिया था। उस समय स्थानीय निवासी, जिनमें कुछ हिंदू संगठनों के सदस्य भी शामिल थे, इस स्थल पर जमा हुए और उन्होंने कहा था कि दरगाह भी अवैध है और इसे भी हटाया जाना चाहिए।

बताया जाता है कि फरवरी में मुंबई हाई कोर्ट के आदेश के आधार पर पुणे हाईवे से सटे काठ्ठे गली इलाके में दरगाह के आसपास के अवैध निर्माण हटाए गए थे, लेकिन विरोध और तनाव के कारण दरगाह को नहीं हटाया गया था।

कॉमेडियन कुणाल कामरा को हाईकोर्ट से गिरफ्तारी से राहत

तमिलनाडु जाकर बयान दर्ज कर सकते हैं-हाईकोर्ट

रिपोर्ट: जमीर काज़ी, मुंबई

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर की गई व्यंगात्मक कविता के कारण चर्चा में आए कॉमेडियन कुणाल कामरा को बुधवार को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने कामरा को गिरफ्तारी से संरक्षण देते हुए कहा है कि मुंबई पुलिस चाहें तो उसका बयान तमिलनाडु जाकर दर्ज कर सकती है।

साथ ही, हाईकोर्ट ने कामरा द्वारा दर्ज एफआईआर रद्द करने की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए, अगली सुनवाई तक उसे गिरफ्तार न करने के आदेश दिए हैं।

दरअसल, पिछले महीने कुणाल कामरा ने अपने एक शो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर व्यंगात्मक कविता प्रस्तुत की थी। इसके बाद शिंदे समर्थकों ने शो के स्टूडियो में तोड़फोड़ की और कामरा के खिलाफ केस दर्ज कराया गया।

तमिलनाडु की एक अदालत ने कामरा को पहले ही अग्रिम जमानत दे दी थी। इसके बाद कामरा ने बॉम्बे हाईकोर्ट में एफआईआर रद्द करने के लिए याचिका दायर की। हाईकोर्ट ने १६ अप्रैल तक उसकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी और बुधवार को इस मामले की विस्तृत सुनवाई हुई।

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने मुंबई पुलिस को फटकार लगाई और कहा,

कुणाल कामरा ने उपमुख्यमंत्री के निजी जीवन पर कोई टिप्पणी नहीं की है। वह केवल नीतियों और सरकार के फैसलों पर व्यंग कर रहे हैं। ऐसे में क्या उनका स्टेटमेंट लेना जरूरी है?

कोर्ट ने पुलिस से पूछा,

जब उनकी जान को खतरा है तो क्या आप उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे? जब आप कह रहे हैं कि गिरफ्तारी की जरूरत नहीं है तो उन्हें बयान के लिए जबरदस्ती क्यों बुला रहे हैं?

कोर्ट ने यह भी कहा,

आपके अधिकारी चाहें तो तमिलनाडु जाकर बयान दर्ज कर सकते हैं। अगर हम इसकी अनुमति दे रहे हैं, तो उसमें क्या दिक्कत है?

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पुलिस ने भी अपनी नोटिस में स्वीकार किया है कि कामरा की गिरफ्तारी आवश्यक नहीं है। यह अपराध इछ्ड की धारा ३५(३) के तहत आता है, जिसमें गिरफ्तारी का प्रावधान नहीं है। इसलिए पुलिस को केवल पूछताछ करनी है, न कि अरेस्ट।

अंत में, कोर्ट ने कहा कि फिलहाल कामरा की गिरफ्तारी नहीं की जाएगी और एफआईआर रद्द करने पर फैसला सुरक्षित रखा गया है। दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी हो चुकी है।

शेकाप के पूर्व विधायक सुभाष पाटील सैकड़ों समर्थकों सहित भाजपा में शामिल

भाजपा का रायगढ़ में विस्तार, पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह

मुंबई (विशेष प्रतिनिधि): रायगढ़ जिले में भारतीय जनता पार्टी को और अधिक मजबूत करते हुए शेतकरी कामगार पक्ष (शेकाप) के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक पंडितशेठ उर्फ सुभाष पाटील ने बुधवार को सैकड़ों समर्थकों के साथ भाजपा में प्रवेश किया। उनके साथ जिला परिषद के पूर्व अध्यक्ष आस्वाद पाटील, पूर्व सभापति चित्रा पाटील, सवाई पाटील सहित कई पदाधिकारियों ने भी भाजपा का दामन थामा।

यह पक्ष प्रवेश कार्यक्रम मुंबई के भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित किया गया था, जिसमें भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण, सांसद धैर्यशील पाटील, विधायक महेश बालदी, प्रशांत ठाकुर, प्रदेश

महासचिव विक्रांत पाटील, अविनाश कोळी, कमलाकर दळवी, और मीडिया प्रमुख नवनाथ बन उपस्थित थे।

इस अवसर पर रविंद्र चव्हाण ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में देश और राज्य तेजी से विकास के रास्ते पर बढ़ रहे हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले समय में रायगढ़ जिला भाजपा का गढ़ बनेगा। उन्होंने कहा कि पंडितशेठ पाटील एक संघर्षशील नेता हैं, जो आम जनता को न्याय दिलाने के लिए हमेशा आगे रहते हैं। उनके भाजपा में शामिल होने से रायगढ़ में पार्टी संगठन को नई ताकत मिलेगी और उन्हें पार्टी में पूरा सम्मान दिया जाएगा।

सुभाष पाटील ने भाजपा में शामिल होते हुए कहा कि उन्हें नरेंद्र मोदी और देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व पर पूरा भरोसा है और वे रायगढ़ के समग्र विकास के लिए भाजपा के साथ मिलकर कार्य करेंगे। उन्होंने आश्वासन दिया कि आने वाले समय में रायगढ़ जिले में भाजपा को नंबर एक पार्टी बनाने के लिए भरपूर प्रयास करेंगे।

इस अवसर पर शेकाप से भाजपा में शामिल होने वालों में पूर्व विधायक दिवंगत मीनाक्षी पाटील के पुत्र और जिला परिषद के पूर्व अध्यक्ष व रायगढ़ जिला बैंक के निदेशक आस्वाद पाटील, ६ पूर्व सभापति, ७ जिला परिषद सदस्य, २ बैंक निदेशक, तथा ६० वर्तमान व पूर्व सरपंच शामिल रहे।

इसके अलावा जनार्दन पाटील, सुगंधा पाटील, संजय पाटील, प्रियदर्शिनी पाटील, भावना पाटील, संदीप घरत, एकनाथ गायकवाड़, वैभव चांदे, वसंत यादव, राजा सानप, स्मिता पाटील, महादेव दिवेकर सहित अनेक नेताओं ने भी भाजपा में प्रवेश किया।

कानों से सुना, दिल थाम कर आंखों देखा हाल।

मैं अंदर थी - आज सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ कानून नहीं, क़ौम खड़ी थी पैर रखने की जगह नहीं थी।

मैं ये बात ऐसे नहीं कह रही जैसे भीड़ की कोई खबर बता रही हूं - मैं खुद अंदर थी। कोर्ट नंबर १ में।

और मैं ये गवाही अपने वजूद से दे रही हूं। २०० से ज़्यादा वकील और याचिकाकर्ता थे अंदर। और जितने अंदर थे, उतने ही बाहर इंतज़ार में। कुछ बैठे थे, कुछ खड़े थे -पीठ की तरफ पीठ लगाए, दीवार से टेक लगाए - कोई वहां तमाशा देखने नहीं आया था। हर कोई जानता था कि आज जो हो रहा है, वो किसी भी आम दिन जैसा नहीं है।ये खुद वकीलों ने कहा

२ बजकर ८ मिनट पर सुनवाई शुरू हुई।

उगख संजीव खन्ना, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस के वी विश्वनाथन बेंच में थे।

पहला सवाल उगख खन्ना ने ही उठाया -

क्या यह मामला बेहतर होगा कि क्ळसह ॅेंीाि को भेजा जाए?

हर राज्य की स्थिति अलग है, तो क्या राज्यवार सुनवाई होनी चाहिए?

यह एक वाजिब सवाल था -

लेकिन उसकी ज़मीन ज़हर से भरी थी।

अगर ये केस क्ळसह ॅेंीाि को भेजा जाता, तो ये लड़ाई बंट जाती।

एक आवाज़ - जो आज कोर्ट में एक साथ गूंज रही थी - ७३ याचिकाएं मिलकर जो एक ताक़त बनी थीं -

वो सब टुकड़ों में बदल जातीं।

और फिर उठे कपिल सिब्बल।

खड़े हुए - और खामोशी टूटी।

माई लॉर्ड, ये वक्फ की ज़मीन का मसला नहीं है।

ये इस्लाम की रूह की पहचान का मामला है।

ये हमारी मस्जिदों, कब्रिस्तानों, मदरसों की हिफाज़त का मामला है।

और सबसे अहम बात -

ये भारत के संविधान के अनुच्छेद २५, २६, २९ और ३० की हिफाज़त का मामला है।

इसे क्ळसह ॅेंीें को देकर टुकड़े-टुकड़े मत करिए।

ये इंसाफ़ का मामला है - इसे यहीं सुनिए, यहीं फैसला करिए।

;

पूरे कोर्ट में सन्नाटा था।

लेकिन उस सन्नाटे में तहरीर लिखी जा रही थी।

फिर बहस आई सबसे विवादित हिस्से पर -

धारा ३(ी): वक्फ बाय यूज़र।

जिस ज़मीन को सदियों से लोग नमाज़ पढ़ने, दुआ करने, ताज़ियत पढ़ने, कब्र बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं -

अगर वो सरकार के रिकॉर्ड में नहीं है -

तो अब वो वक्फ नहीं मानी जाएगी?

क्या इतिहास को सिर्फ रिकॉर्ड की मोहताज बना दिया जाएगा?

क्या दुआओं का कोई दस्तावेज़ होता है, माई लॉर्ड?

क्या मज़ार पर लगे चादर का कोई रजिस्ट्रेशन होता है?

सिब्बल की आवाज़ भारी थी -

लेकिन रुक नहीं रही थी।

;

धारा १०७ का मुद्दा आया।

सरकार कह रही है -

अगर कोई ३० साल से किसी वक्फ ज़मीन पर कब्जा कर के बैठा है,

तो अब उसे चुनौती नहीं दी जा सकती।

तो क्या अब क़ब्ज़ा ही इंसाफ़ है?

क्या जो मस्जिद कल तक आपकी थी -

आज अगर कोई उसे दबा ले, और आप खामोश रहें -

तो क्या वो मस्जिद अब आपकी नहीं?

क्या इंसाफ़ की भी एक्सपायरी डेट होती है, माई लॉर्ड?

;

Bench ने कहा:

हम समझते हैं कि कुछ प्रावधानों को लेकर संवैधानिक चिंता है,

लेकिन हमें यह भी देखना होगा कि हर मामले को ‘धरोहर’ न मान लिया जाए।

सिब्बल बोले:

कब्रिस्तान, मस्जिद, मदरसा - ये धरोहर नहीं, जिम्मेदारी हैं।

ये सिर्फ इमारतें नहीं, ये हमारी इबादत हैं।

और इन पर हक़ है हमारा - ये हमसे कोई कलेक्टर या रजिस्ट्रार नहीं छीन सकता।

;

मैं आज अंदर थी।

मैंने सिर्फ बहस नहीं सुनी -

मैंने इंसाफ़ की सांसें सुनीं।

मैंने उन आंखों को देखा -

जो इशपलह की तरफ नहीं, खुदा की तरफ देख रही थीं -

कि आज, इंसाफ़ उसी के हाथ में है।

मैंने उन हाथों को देखा जो कोर्ट की दीवार को छू रहे थे -

जैसे कह रहे हों:

बस हमें सुना जाए - और सही फैसला हो जाए।

;

मैं आज वहां गवाह बनकर खड़ी थी।

मैंने देखा कि मुसलमान डरने नहीं आया था -

वो लड़ने आया था - दस्तावेज़ों से, दलीलों से, संविधान से।

और मैं आज ये पोस्ट इसलिए लिख रही हूं -

क्योंकि कल जब कोई ये कहेगा कि ये सिर्फ एक केस था -

तो मेरा ये लिखा हुआ कहेगा -

नहीं। ये उस क़ौम की मौजूदगी थी -

जो कभी अदालतों से नहीं डरती,

बल्कि वहीं अपना हक़ लेती है।

ॲड.खुशबू अख्तर दिल्ली।

दैनिक भारत की तामीर अखबार के मालिक, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक काजी मखदूम शफीउद्दीन ने आरएम प्रिंटर्स, बार्शी रोड, बीड 431122 महाराष्ट्र में मुद्रित कर के दैनिक तामीर, नगर परिषद परिसर, बशीर गंज, बीड, महाराष्ट्र कार्यालय से प्रकाशित किया है। मोबाइल : 9270574444 ईमेल : hinditameer@gmail.com वेबसाइट : www.dailytameer.com
daily Bharat ki tameer newspaper owner printer publisher editor Quazi makhdoom shafiuddin has printed at RM printers barshi road beed 431122 Maharash-tra at published at office daily tameer nagar parishad complex Bashir gunj beed Maharashtra. Mobile : 9270574444 Email : hinditameer@gmail.com Website : www.dailytameer.com